न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 17/2018 एल.आर. एक्ट

1 नवीता पुत्री अमरचन्द जाति बिश्नोई साकिन घड़साना हाल निवासी एस.एच. 7 रिद्धी –सिद्धी कॉलोनी, हनुमानगढ रोड श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट

बनाम

1 सरपंच ग्राम पंचायत 2 जीडी 'बी'' पचायत समिति घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2 भागवन्ती पत्नी स्व. रामकुमार जाति बिश्नोई निवासीगण 4–च–14 जवाहर नगर जयपुर।
3 सविता पुत्री स्व. रामकुमार जाति बिश्नोई निवासीगण 4–च–14 जवाहर नगर जयपुर।
4 पुनित कुमार पुत्र स्व. रामकुमार जाति बिश्नोई निवासीगण 4–च–14 जवाहर नगर जयपुर।
5 देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी प्लाट नम्बर ए–107 जय जवान कॉलोनी प्रथम टोक रोड़ जयपुर।
6 उप पंजियक महोदय घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7 स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत –अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेश बैद – रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5
3. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 20–05–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 27–12–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील घड़साना के स्थित खेत खसरा नम्बर 59 मे 25 बीधा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 108 की 14 बीधा 10 बिस्वा अपीलांटा के चाचा रामकुमार पुत्र सोहनलाल कौम बिश्नोई के नाम से कस्टोडियन में आवटित थी। जिन्होने अपने जीवनकाल मे ही दिनाक 8.5.1972 को उक्त भूमि जरिये तमलीकनामा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांटा के हक में उप पंजीयक अनूपगढ के कार्यालय से रूबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवाकर अपीलांटा को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त भूमि के चकबन्दी मे नये नम्बर चक 7 जी.डी. "बी" के मुरब्बा नम्बर 21 पत्थर नम्बर 26/02 किला नम्बर 25 व 24 एवं पत्थर नम्बर 26/03 के किला नम्बर 4 ता 12, मुरब्बा नम्बर 25 पत्थर नम्बर 06/59 के किला नम्बर 4 ता 8, 13 ता 15, 18, 19, 22 ,23 कुल तादादी 5.541 हैक्टयर एवं चक 4 एस.टी. आर के मुरब्बा नम्बर 11 पत्थर नम्बर 44/25 किला नम्बर 26, 7, 14, 15, 17 मुरब्बा नम्बर 12 पत्थर नम्बर 44/33 किला नम्बर 8 ता 13, 18 ता 20 इस प्रकार कुल 3.515 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड पेमुद होकर अपीलांटा के कब्जा व काश्त में चली आ रही है। अपीलांटा के चाचा रामकुमार का निधन 1993 में हो गया तत्पश्चात रामकुमार के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने उक्त भूमि का इन्द्राज इन्तकाल संख्या 119 व 70 द्वारा अपने नाम से अंकन करवा लिया। इस आदेश के विरूद्व अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय में इन्तकाल संख्या 119 के खिलाफ प्रथम अपील संख्या 11/14 व इन्तकाल संख्या 70 के खिलाफ 10/ 14 पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2017 अपील संख्या 11/14 इन्तकाल संख्या 119 की पत्रावली को मियाद बाहर होने के कारण खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलाटा ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 6 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने पर भी उपस्थित नही आये और ना ही उनकी और से कोई विधानिक प्रतिनिधी उपस्थित आये।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट् के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस के दौरन कंहा कि तहसील घड़साना के स्थित खेत खसरा नम्बर 59 मे 25 बीधा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 108 की 14 बीधा 10 बिस्वा अपीलांटा के चाचा रामकुमार के नाम से कस्टोडियन में आवटित थी। रामकुमर ने जीवनकाल मे ही दिनाक 8.5.1972 को उक्त भूमि जरिये तमलीकनामा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांटा के हक में उप पंजीयक अनूपगढ के कार्यालय से रूबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवाकर अपीलांटा को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त भूमि के चकबन्दी मे नये नम्बर चक 7 जी.डी. "बी" के मुरब्बा नम्बर 21 पत्थर नम्बर 26/02 किला नम्बर 25 व 24 एवं पत्थर नम्बर 26/03 के किला नम्बर 4 ता 12, मुरब्बा नम्बर 25 पत्थर नम्बर 06/59 के किला नम्बर 4 ता 8, 13 ता 15, 18,19,22,23 कुल तादादी 5.541 हैक्टयर एवं चक 4 एसटी आर के मुरब्बा नम्बर 11 पत्थर नम्बर 44/25 किला नम्बर 26,7,14,15,17 मुरब्बा नम्बर 12 पत्थर नम्बर 44/33 किला नम्बर 8 ता 13, 18 ता 20 इस प्रकार कुल 3.515 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड पेमुद होकर अपीलांटा के कब्जा व काश्त में चली आ रही है। रामकुमार का निधन 1993 में हो गया तत्पश्चात रामकुमार के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने उक्त भूमि का इन्द्राज इन्तकाल संख्या 119 व 70 द्वारा अपने नाम से अंकन करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा की अपील केवल मियाद के तकनीकी बिन्दु के आधार पर खारिज कर दिया। जबकि मौके पर अपीलांटा का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 अपीलांटा के चाचा रामकुमार के वारिसान है जो जयपुर मे रिहायश करते हे। अपीलांटा ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे इसकी निगरानी पेश की जिसमे स्थगन आदेश जारी किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर दिया। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना का आदेश दिनाक 27.12.2017 को खारिज किया जाकर तमलीकनामा के आधार पर अपीलांटा के नाम नामान्तरण दर्ज करने के आदेश तहसीलादार धड़साना को दिया जावे।

5. रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि तमलीकनामा महत्वपूर्ण है। हमारे पिताजी रामकुमार के नाम नामान्तरणकरण था तो हमे कोई ऐतराज नही था। अपीलान्ट द्वरा रामकुमार की मृत्यु के बाद कार्यवाही की गई है। जबकि तमलीकनामा केवल भरणपोषण तक ही सिमित है। उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। जब तमलीकनामा किया गया उस समय अपीलांटा की उम्र 01 वर्ष की थी। तमलीकनामा से किसी का टाईटल नही बनता

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है, लड़की की शादी के बाद तमलीकनामा स्वय खत्म हो गया, तमलीकनामा से भूमि हस्तान्तरण नही होती है । विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल ग्राम पंचायत 2 जीडी द्वारा दिनांक 20.5.11 को किया गया जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना मे भी करीब 3 वर्ष से अधिक समय बाद अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से सही खारिज की है। ग्राम पंचायत 2 जीडी तहसील घड़साना ने अपने आदेश दिनांक 20.5.11 द्वारा इन्तकाल संख्या 119 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के नाम विरास्तन दर्ज किया है वह सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में, RRD 1997 पृष्ठ 136 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस कर कहा कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धड़साना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2017 सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्यन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :–

   1. इस अपील में मुख्य विवाद अपीलान्ट के नाम भूमि तमलीकनामा को लेकर है। रामकुमार ने वर्ष 1972 में अपीलांट के पक्ष में तमलीकनामा किया, इस प्रश्न पर दोनो पक्षो को ऐतराज नही है। अपीलांट ने वर्ष 1972 मे रामकुमार के द्वारा किये गये तमलीकनामा के आधार पर अपना हक भूमि पर होने का कथन किया है।
   2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि वर्ष 1972 में हुवे तमलीकनामा के वक्त अपीलांट की उम्र 1 वर्ष की थी, तमलीकनामा केवल अपीलांट के भरण पोषण के लिए किया गया था अपीलान्ट के नाम भूमि हस्तान्तरण नही की थी।
   3. न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट ने तमलीकनामा के आधार पर अपना हक भूमि पर होने का कथन तो किया है, पर क्या तमलीकनामा के अधार पर उक्त भूमि उसके नाम की जावे या तमलीकनामा के आधार पर भूमि उसकी हो गई ऐसा कोई उद्वरण पेश नही किया

राजस्व अपील आयुक्त
बीकानेर

जबकी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 1997 पृष्ठ 136 तमलीकनामा से किसी का टाईटल नही बनता है, एवं तमलीकनामा से भूमि हस्तान्तरण नही होती है । इस मामले में मार्गदर्शक का काम करते है तथा हस्तगत प्रकरण पर चस्पा भी होते है।

उपरोक्त विवेचना के अनुसार अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 20–05–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।